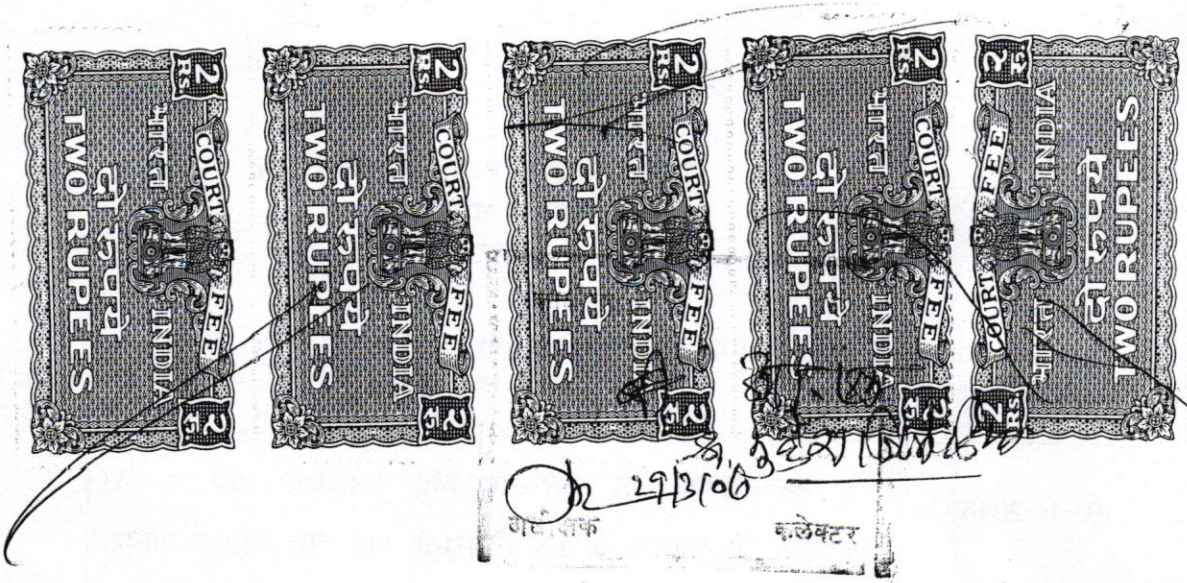

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर कॅम्प इन्दौर म0प्र0 ।

R02-786/I/06

1- नारायण पिता बाबुलाल, उम्र 30 साल,
2- कृष्णा पिता बाबुलाल उम्र 28 वर्ष, धंधा
खेती, दोनो निवासीयान ग्राम तोरनोद
तहसील व जिला धार म0प्र0 ---- आवेदक

ब ना म

1- बाबु पिता गणपत जाति भील, फौत वारिस-
शांताबाई पति बाबु जाति भील, निवासी
ग्राम बागडियातहसील व जिला धार म0प्र0।

डाक से प्राप्त
4/4/06

2- रामचन्द्र पिता भागीरथ, लौधा, उम्र 70 वर्ष
3- धीसा पिता नन्दाजी, जाति लौधा आयु 60 वर्ष
4- उमराव पिता बाबुलाल, जाति लौधा, आयु 40 वर्ष
[illegible]
क्र0 2 लगायत 4, नि0 ग्राम तोरनोद, तहसील
व जिला धार म0प्र0 --- अनावेदकगण

आवेदन पत्र धारा 51 म0प्र0भू0रा0संहिता :: पुर्नविलोकन बाबद
प्रकरण क्रमांक 119/4/97 मे पारित आदेश दिनाक 19/1/06 के
पुर्नविलोकन बाबद ::

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यू 786—एक / 2006 [नारायण आदि / वासुदेव आदि] जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19—1—2016	आवेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं । इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 119—चार / 1997 आदेश दिनांक 19—01—2006 का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध यह पुर्नविलोकन प्रकरण प्रस्तुत किया गया है । म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:— 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदकगण की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाई गई है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	